सं.–1525ए/9-7-81एन.आर.वाई./91

प्रेषक,

श्री पी.एल.पुनिया,
सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी (पर्वतीय क्षेत्र)
नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/
देहरादून पौढ़ी/टेहरी गढ़वाल/
उत्तर काशी/चमोली, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 8 अक्टूबर, 1991

नगर विकास अनुभाग–7

विषय : **रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने के संबंध में।**

महोदय,

शासन के पत्र सं.–10/9-ने.रो./यो.सेल/90 दिनांक : 22 सितम्बर, 1990 द्वारा प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों द्वारा 550 हजार व्यक्तियों को रिक्शा मालिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस संबंध में कई जनपदों विशेष रूप से पर्वतीय द्वारा यह कहा गया है कि उन जिलों में रिक्शों का प्रचलन न होने के कारण, निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूर्ण किये जाने में कठिनाई आ रही हैं।

2. इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन जनपदों/मण्डल में रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने की योजना को कार्यान्वित करने में व्यावहारिक कठिनाई आ रही है अथवा वहां निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूर्ण करने में कतिपय समस्यायें हैं, तो उन जनपदों की सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रिक्शा चालक योजना के मूलभूत उद्देश्यों में प्रकाश में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विचार.विमर्श करके इस योजना के विकल्प के रूप में लगभग समान उद्देश्यों को लेकर कोई अन्य वैकल्पिक योजना प्रस्तावित की जाय, जिससे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 8.33% के अतिरिक्त अनुदान का सदुयोग सुनिश्चित किया जा सके। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त परिप्रक्ष्य में किसी वैकल्पिक योजना के प्रस्ताव को शीघ्रताशीघ्र उपलग्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी.एल. पुनिया
सचिव

सं.–1525 (1)ए/9-7-81 एन.आर.वाई./91 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मण्डलायुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

पी.एल. पुनिया
सचिव